न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

186/2006

सीलिंग प्रकरण संख्या — 139 / 2006

सालय / प्रार्थी
1. सरकार

बनाम

गैर सायलान / अप्रार्थीगण

1. श्री प्रभु रूगा के कायम मुकामः—
(ए) लच्छा पुत्र प्रभु (बी) माना पुत्र प्रभु के कायम मुकामः—
(ए) बाबुलाल पुत्र माना (बी) मोतीदेवी बेवा माना
2. मगा पुत्र रायचंद के कायम मुकामः—
(ए)दुर्गाराम पुत्र मगाराम
(बी) हिमताराम पुत्र मगाराम
(सी) रतनाराम पुत्र मगाराम
(डी) गीगाराम पुत्र मगाराम
(ई) पुखराज पुत्र मगाराम
3. देवाराम पुत्र मगाराम के कायम मुकामः—
(ए) बगदाराम पुत्र देवाराम
(बी) तुलसाराम पुत्र देवाराम
(सी) ढगलाराम पुत्र देवाराम
4. राजीराम पुत्र नवलाराम के कायम मुकामः—
(ए) उमाराम के कायम मुकामः— नाथुराम पुत्र उमाराम
(बी) प्रेमाराम पुत्र राजीराम
5. किशनाराम पुत्र रूगाराम के कायम मुकामः— (ए) लिखमाराम पुत्र किशना के कायम मुकामः— (अ) दोलाराम पुत्र लेखमाराम (ब) रामलाल पुत्र लिखमाराम (स) गोपाराम पुत्र लिखमाराम

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

(बी) दीपाराम पुत्र किशनाराम

(सी) जीयाराम पुत्र किशनाराम

6. केसाराम पुत्र किशना

7. नेमाराम के कायम मुकामः— (ए) कालुराम के कायम मुकामः— (अ) लादूराम पुत्र कालुराम

(बी) उम्मेद पुत्र के कायम मुकाम

(अ) नारायणलाल पुत्र उम्मेदराम

(ब) जयराम पुत्र उम्मेदराम

(स) हडमान राम पुत्र उम्मेदराम

समस्त जातिगण सीरवी निवासीगण पाटवा, तहसील जैतारण, जिला पाली

2.

8.

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक सरकार की तरफ सें।

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के अन्तर्गत

—:आदेशः— दिनांक 03-12-2021

1. इस सीलिंग प्रकरण में तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने उनके सीलिंग प्रकरण संख्या 163/71 (पूराना कानून) निर्णय दिनांक 19.04.1971 में गैरसायल व उनके परिवार के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया था। तत्पश्चात राज्य सरकार राजस्व (सीलिंग) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (1346)राज/सी/79/जयपुर दिनांक 29.4.81 द्वारा उपखण्ड अधिकारी जैतारण के निर्णय दिनांक 19.4.1971 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के अध्याय 3—ख के अनुसार नही मानते हुए और राज्यहित के प्रतिकुल मानते हुए, राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) मे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण अतिरिक्त जिलाधीश, पाली को प्रेषित कर उक्त आदेश दिनांक 29.4.81 के प्रकाश मे कथित सीलिंग प्रकरण को खोलकर तथा अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के निर्देशो के साथ प्रकरण को रि— ओपन कर पुनः निर्णय करने हेतु भिजवाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

2. तत्पश्चात प्रकरण न्यायायल अतिरिक्त जिलाधीश न्यायालय में दर्ज किया जाकर गैरसायलान का नोटिस तलब किया गया। तदुपरान्त श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2006/264 दिनांक 27.3.2006 के अनुसरण में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई जो दर्ज रजिस्टर प्रकरण संख्या 186/06 दर्ज कर संबंधित पक्षकारान को सूचित किया गया।

3. तत्पश्चात इस न्यायालय द्वारा गैरसायलान को बार बार अवसर प्रदान करने के उपरान्त एवं आदेशिका दिनांक 20.3.2009 को वकील गैर सायल व गैर सायल को कई बार आवाजे लगाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं। अन्ततः गैर सायलान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा एक पक्षीय बहस सूनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.5.2009 एक पक्षीय निर्णय पारित कर गैर सायलान व उनके परिवार के पास कुल 319 बीघा 18 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया।

4. तदुपरान्त गैरसायलान के कायम मुकामों द्वारा दिनांक 17.8.2009 को अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 29.5.2009 निरस्त करवाने तथा पत्रावली सरकार बनाम लच्छा वगैरहा प्रकरण संख्या 186/2006 को पुनः खोलने हेतु निम्नानुसार निवेदन किया:–

- यह हैं कि मुकदमें के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमान के न्यायालय में राजस्थान सरकार द्वारा रिओपन करके एक सीलिंग मुकदमा जो सीलिंग पुराना कानून के अन्तर्गत रिओपन करके राजस्थान सरकार द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश महोदय पाली को भेजा गया अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय पाली द्वारा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को नोटिस जारी किया। इस प्रकार मुकदमा चलता रहा राजस्थान सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) का न्यायालय अलग से सृजित कर दिया और पत्रावली 1994 में अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय पाली से हस्तान्तरण होकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) पाली के न्यायालय में हस्तानान्तरित कर दी गई। पत्रावली में पेशीयां पडती रही फिर राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिग) पाली का पद समाप्त कर दिया और पुनः पत्रावलियां अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय पाली के पास चली गई। वर्ष 2006 में पत्रावली पुनः अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) को हस्तानान्तरित की गई। इस प्रकार पत्रावलियां चलती रही इस दौरान जो गैर सायलान थे उन सभी गैर सायलान का देहान्त हो गया राजस्थान सरकार द्वारा किसी प्रकार की कायम मुकामान की कार्यवाही नहीं की गई और न ही कायम मुकामान जो प्रार्थीगण हैं इनको नोटिस जारी हुए परन्तु श्रीमान द्वारा दिनांक 29.5.2009 को उक्त पत्रावली प्रकरण संख्या 186/2006 का निर्णय कर दिया गया

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

और गैरसायलान के पास सीलिंग सीमा से अधिक 319 बीघा 18 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने का आदेश पारित किया गया।

- यह हैं कि श्रीमान द्वारा जो आदेश पारित किया गया हैं उसमे सभी गैर सायलान का स्वर्गवास हो चुका हैं। कानून में मृतक व्यक्ति के विरूद्ध जो आदेश पारित किया जाता हैं वह आदेश एबइनिशियों वोईड एवं नल्टी हैं कहने का अर्थ हैं कि वह आदेश शुन्य हैं जो आदेश मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया हैं उसे निरस्त फरमाते हुए पुनः पत्रावली को नम्बर पर ली जाकर गैर सायलान को सुनवाई का अवसर प्रदान करावे।
- यह हैं कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 289.5.2009 में मगा पुत्र रामचन्द्र नाम उल्लेखित किया हैं जबकि मगा के पिता का नाम रायचंद हैं और मगा का भी देहान्त हो चुका हैं जिसके कायम मुकाम इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण हैं। इस आधार पर भी उक्त आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. को आदेशिका दिनांक 24.8.2009 में वर्णितानुसार स्वीकार किया जाकर मिसल पर लिया गया तथा गैर सायलान के कायम मुकामों की सूची उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार जैतारण को लिखा गया। तहसीलदार जैतारण द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2013/633 दिनांक 18.3.2013 द्वारा गैर सायलान के कायम मुकामों की सूची प्राप्त हुई जिसे सामिल पत्रावली किया गया तथा सूनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया।

6. गैर सायलान के कायम मुकामों की और से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह चारण, श्री दिलिपसिंह चारण व श्री गजेन्द्रसिंह चारण द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब व बहस हेतु समय चाहा गया, जो इस न्यायालय द्वारा प्रयाप्त मात्रा में समय व अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी गैर सायल व उनके अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार की बहस नहीं की गई तथा प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्य रूप से विलम्ब के उद्येश्य किसी न किसी बहाने से आगे तारीख पेशी ली जा रही हैं। जिससे सिद्ध होता हैं कि गैर सायलान व उनके विद्वान अभिभाषक प्रकरण का निस्तारण नही करवाना चाहते हैं अतः प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाना न्यायोचित हैं।

7. सायल की ओर से राजकिय अभिभाषक ने जवाब प्रस्तुत नही कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

8. राजकिय अभिभाषक ने अपनि मोखीक बहस के दौरान निवेदन किया की गैरसायल व उनके परिवार के पास दिनांक 25.2.1958 व 1.4.1966 को कुल रकबा 807 बीघा 18 बिस्वा भूमि धारित थी। गैर सायलान व उनके परिवार द्वारा किये गये हस्तानान्तरण धारा

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

30डी. व 30डी.डी. के अन्तर्गत मानने योग्य नहीं होने से उन्हे मान्यता नहीं दी जा सकती। जैतारण तहसील में 61 बीघा = 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि निर्धारित हैं। सीलिंग कानून अनुसार परिवार के पांच सदस्य जो तक 1 यूनीट मानी जाती हैं तथा गैरसायल के परिवार में 8 यूनिट होने से गैर सायलान 30 X 8 = 240 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अर्थात 488 बीघा भूमि ही धारित करने के अधिकारी हैं। अतः शेष भूमि अधिग्रहण की जाने के आदेश फरमावे।

9. हमने राजकिय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा राज्य सरकार के रिओपन आदेश दिनांक 29.4.1981 को ध्यान में रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गहनता से अवलोकन किया। तथ्य उभर के इस प्रकार आते हैं कि प्रकरण मे न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 29.5.2009 से पूर्व भी गैर सायलान व उनके अधिवक्ता को कई बार सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया था किन्तु गैर सायलान व उनके अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण के निस्तारण के संबंध में किसी प्रकार के साक्ष्य व दस्तावेज उपलब्ध नही कराये तथा न ही उक्त संबंध में किसी प्रकार बहस हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए। अन्ततः इस न्यायालय द्वारा एक पक्षीय बहस सून के आदेश पारित किया गया।

10. तदुपरान्त गैरसायलान के कायम मुकामों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया की गैर सायलान के कायम मुकामों को उक्त प्रकरण में पक्षकारान बनाकर उन्हे सुनवाई हेतु उचीत अवसर प्रदान करावे तथा पूर्व में जारी आदेश को निरस्त फरमाते हुए प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु निवेदन किया।

11. गैरसायलान के कायम मुकामों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी. पी.सी. को न्यायहित में आदेशिका दिनांक 24.8.2009 मे वर्णितानुसार स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार जैतारण से प्राप्त सूची अनुसार गैरसायलान के कायम मुकामों को पक्षकार बनाकर नोटिस जारि किया गया तथा सूनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया।

गैरसायलान के कायम मुकामों की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह चारण, दिलिपसिंह चारण व गजेन्द्रसिंह चारण ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब व बहस हेतु अवसर चाहा, जो न्यायहित मे प्रर्याप्त समय व अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी गैर सायलान व उनके अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावे अथवा सबुत इस न्यायालय में पेश नही किये कि गैरसायल के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं हैं और न ही प्रकरण के निस्तारण के लिए बहस हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए। जिससे जाहीर होतो हैं कि गैर सायलान व उनके अधिवक्ता इस प्रकरण का निस्तारण नहीं चाहते हैं वे केवल सीलिंग कानून से बचने के लिए अनावश्यक विलम्ब के उद्येश्य से प्रकरण को निस्तारित नहीं करवाना चाहते हैं। अतः प्रकरण में पुनः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं।

13. अतः उक्त सीलिंग प्रकरण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की मृतक गैरसायलान व उनके परिवार के पास दिनांक 25.2.1958 व 1.4.1966 को कुल 807 बीघा 18 बिस्वा भूमि

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

निर्धारित थी। गैर सायलान व उनके परिवार द्वारा किये गये हस्तानान्तरण धारा 30डी. व 30डी.डी. के अन्तर्गत मानने योग्य नहीं होने से उन्हे मान्यता नहीं दी जा सकती। जैतारण तहसील में 61 बीघा = 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि निर्धारित हैं। सीलिंग कानून अनुसार परिवार के पांच सदस्य तक 1 यूनीट मानी जाती हैं तथा गैरसायल के परिवार में 8 यूनिट होने से गैर सायलान 30 X 8 = 240 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अर्थात 488 बीघा भूमि ही धारित करने के अधिकारी हैं। अतः शेष 319 बीघा 18 बिस्वा भूमि अधिग्रहण की जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार जैतारण गैर सायलान से 15 दिवस में विकल्प प्राप्त करे। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में तहसीलदार सर्वप्रथम भाररहित भूमि अधिग्रहण करे। अगर इस कानून के तहत पूर्व में कोई भूमि अधिग्रहित की गई हो तो राजस्व रेकर्ड से सत्यापन के पश्चात उसका समायोजन किया जावें। इसके पश्चात अधिग्रहण से भूमि शेष रहती हैं तो अन्तरित क्रम में क्रेताओं से भूमि अधिग्रहण की जावे। तहसीलदार सोजत भूमि अधिग्रहित कर एक माह में पालना रिपोर्ट न्यायालय को पेश करे।

14. आदेश की प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली तथा उपखण्ड अधिकारी, जैतारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 03-12-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)